न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 30/2019 (136 एल0आर0एक्ट) निर्णय दिनांक 28.08.2019

बउनवान

उमारानी उर्फ उमदेवी पुत्री प्रकाशचंद आयु 47 वर्ष पत्नी प्रदीप कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी दरा स्टेशन (मोरूकला) तहसील कनवास जिला कोटा।

वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :-
वादनी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, कि वादनी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरूस्ती करने हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मोरूकला पटवार हल्का मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा खसरा नबंर 101 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 102 की रकबा 0.36 हे0, खसरा नबंर 110 की रकबा 0.22 हे0, खसरा नबंर 112 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 113 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 1. 62 हे0, स्थिति है, जिसमें मुझ वादनी की 1/4 हिस्सा निहित है।

उक्त आराजी हमारे स्वर्गीय पिता प्रकाशचंद वल्द फकीर चंद जाति ब्राह0 निवासी दरा स्टेशन के खाते में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद वादनी के भाईयों ने फोती इन्तकाल खुलवाते समय वादनी का घर का बोलता नाम उमा देवी लिखवा दिया तथा पिता प्रकाश चंद के बाद खुले फोती इन्तकाल नबंर 174 दिनांक 26.05.2017 में वादनी का नाम उमा देवी पुत्री प्रकाशचंद दर्ज करवा दिया जबकि वादनी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं सभी दस्तावेजों में वादनी का नाम उमारानी पुत्री प्रकाशचंद हो जाने से वादनी को के0सी0सी0 लेने, बिजली कनेक्शन लेने में भारी परेशानी आ रही है।

उक्त त्रृटि की जानकारी वादनी को दिनांक 17.01.2019 को जमाबंदी की नकल निकवाने पर हुई, वादनी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी में नाम दुरूस्ती करवाने की अधिकारणी है साथ में प्रार्थना की माल ग्राम मोरूकला पटवार हल्का मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा खसरा नबंर 101 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 102 की रकबा 0.36 हे0, खसरा नबंर 110 की रकबा 0.22 हे0, खसरा नबंर 112 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 113 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 1. 62 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम उमादेवी पुत्री प्रकाशचंद के स्थान पर दुरूस्त कर उमारानी पुत्री प्रकाशचंद दर्ज किया जावे व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इस हेतु तहसीलदार साहब को आदेशित किया जावे।

प्रकरण में रिर्पोट सरिस्का प्राप्त की व प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर जवाब राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास प्राप्त किया। जिसमें तहसीलदार कनवास द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 26.05.2017 से उमादेवी पुत्री प्रकाशचंद दर्ज हुआ है। जबकि वादनी का नाम उमारानी पुत्री प्रकाशचंद है, जिससे दुरूस्त करने में राजहित प्रभावित नंही होते हैं। दुरूस्ती अपेक्षित है।

प्रस्तुत जवाब दावा व वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत मोरूकला (दरा स्टेशन) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र उमादेवी पुत्री प्रकाश चंद जाति ब्राहम्ण निवासी दरा स्टेशन का नाम उमादेवी व उमारानी एक ही है, उक्त तस्दीक प्रमाणित किया जाता है। जिसका भी अवलोकन किया गया। जिससे प्रमाणित होता है कि उमारानी व उमादेवी एक ही व्यक्ति हैं। जिसके पिता का नाम प्रकाशचंद ब्राहम्ण निवासी दरा स्टेशन है। जिसे दुरूस्त करना न्यायोचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः वादनी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम मोरूकला पटवार हल्का मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 43 के खसरा नबंर 101 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 102 की रकबा 0.36 हे0, खसरा नबंर 110 की रकबा 0.22 हे0, खसरा नबंर 112 की रकबा 0.75 है0, खसरा नबंर 113 की रकबा 0.28 है0, कुल किता की 05 की कुल रकबा 1. 62 है0, के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम उमादेवी पुत्री प्रकाशचंद के स्थान पर उमारानी पुत्री प्रकाशचंद जाति ब्राहम्ण निवासी दरास्टेशन (मोरूकला) दर्ज किया जावे व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार कनवास को आदेश की एक प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा (राज0)